

कार्यालय/न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार म0प्र0

क्रमांक-..... / 2024

धार, दिनांक-30.12.2024

**// रिमांड ड्यूटी आदेश //**

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार म0प्र0 माह जनवरी-2025 के अवकाश के दिनों में जिला धार मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की निम्नानुसार रिमांड ड्यूटी नियत करती हूँ। कॉलम नं.1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉलम नं. 2 में उल्लेखित अवकाश के दिनों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे:-

| स. क्र. | कॉलम क्रमांक-1                                | कॉलम क्रमांक-2<br>जनवरी, 2025 |
|---------|---|-------------------------------|
| 1       | श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, जे.एम.एफ.सी. | 05                            |
| 2       | सुश्री संजना मालवीय, जे.एम.एफ.सी.             | 12                            |
| 3       | श्री संजीव पिपलादिया, जे.एम.एफ.सी.            | -                             |
| 4       | श्रीमती उषाकांता बैरागी, जे.एम.एफ.सी.         | 26                            |
| 5       | श्रीमती नविश्ता कुरैशी, जे.एम.एफ.सी.          | 14                            |
| 6       | श्री कादिर खॉं, जे.एम.एफ.सी.                  | 03, 04                        |
| 7       | श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, जे.एम.एफ.सी.         | 18, 19                        |
| 8       | श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा                 | 01, 02                        |

**नोट:-**

1. अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. अपवादिक परिस्थितियों में मजिस्ट्रेटगण रिमांड ड्यूटी परिवर्तन हेतु साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति प्राप्त कर समायोजन की सूचना मेरी ओर प्रेषित करेंगे।
3. उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और वह पदभार मुक्त हो जाते हैं अथवा कोई न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनके स्थान पर रिमाण्ड ड्यूटी अन्य किसी भी पदस्थ न्यायिक अधिकारी की लगाई जा सकेगी।
4. अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, जे.एम.एफ.सी. धार द्वारा रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी पर न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिमांड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारी की नियत की जावेगी।

(नताशा शख  
पटेल )  
मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट धार  
जिला धार (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- श्रीमती वर्षा सूर्यवंशी मजूमदार, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सुश्री संजना मालवीय, जे.एम.एफ.सी., धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- श्री संजीव पिपलादिया, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- श्रीमती उषाकांता बैरागी जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6- श्रीमती नविश्ता कुरैशी, जे.एम.एफ.सी., धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7- श्री कादिर खॉं, जे.एम.एफ.सी. धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8- श्रीमती शिखा लोकेश दुबे, जे.एम.एफ.सी., धार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 9- श्रीमती मानसी सिंगोदिया अरोरा, जे.एम.एफ.सी. धार
- 9- उपसंचालक, लोक अभियोजन धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की रिमांड ड्यूटी के दौरान संबंधित न्यायालय में संबंधित ए.डी.पी.ओ. को उपस्थित रखें।
- 10- सचिव, अभिभाषक संघ धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 11- पुलिस अधीक्षक, धार की ओर समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने के लिये कि उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिन न्यायालय भवन में शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमांड ड्यूटी की जावेगी। अतः उक्त समयावधि में ही रिमांड कार्यवाही प्रस्तुत करें।

(नताशा शंख  
पटेल )  
मुख्य न्यायिक धार  
मजिस्ट्रेट  
जिला धार (म.प्र.)

कार्यालय/न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार जिला धार म0प्र0

क्रमांक-...../2024

धार, दिनांक-30.12.2024

// रिमांड ड्यूटी आदेश //

मैं नताशा शेख पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धार म0प्र0 माह **जनवरी-2025** के अवकाश के दिनों में जिला धार की विभिन्न तहसीलों पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट की निम्नानुसार रिमांड ड्यूटी नियत करती हूँ। कॉलम नं.1 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट, कॉलम नं.2 में उल्लेखित अवकाश के दिनों में दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में बैठकर निम्नानुसार वर्णित तारीखों को रिमांड ड्यूटी संपादित करेंगे :-

तहसील-सरदारपुर

| कॉलम क्रमांक-1                        | कॉलम क्रमांक-2<br>जनवरी, 2025 |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| श्री रामावतार पटेल, जे.एम.एफ.सी.      | 01, 03, 18                    |
| श्रीमती आकांक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी.   | 12, 19                        |
| श्री भूपेन्द्र यादव, जे.एम.एफ.सी.     | 04, 05                        |
| श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, जे.एम.एफ.सी. | 03, 14, 26                    |

तहसील-बदनावर

| कॉलम क्रमांक-1                     | कॉलम क्रमांक-2<br>जनवरी, 2025 |
|------------------------------------|-------------------------------|
| सुश्री नेहा प्रधान, जे.एफ.एफ.सी.   | 12, 26                        |
| सुश्री जसविता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी. | 18, 19                        |
| श्रीमती सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी.   | 01, 02, 14                    |
| सुश्री पलक प्रजापति, जे.एम.एफ.सी.  | 03, 04, 05                    |

तहसील-धरमपुरी

| कॉलम क्रमांक-1                           | कॉलम क्रमांक-2<br>जनवरी, 2025 |
|--|-------------------------------|
| श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी. | 01, 02, 03                    |
| सुश्री अपेक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी.        | 12, 18, 19                    |
| श्री श्रीकृष्ण बरार, जे.एम.एफ.सी.        | 04, 05, 14, 26                |

**तहसील—मनावर**

| कॉलम क्रमांक-1                           | कॉलम क्रमांक-2<br>जनवरी, 2025 |
|--|-------------------------------|
| श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, जे.एम.एफ.सी. | 01, 02, 03                    |
| श्री कृष्णा वोहरा, जे.एम.एफ.सी.          | 04, 05, 12, 15                |
| सुश्री रूही एजाज मेव, जे.एम.एफ.सी.       | 14, 18, 19                    |

**तहसील—कुशी**

| कॉलम क्रमांक-1                       | कॉलम क्रमांक-2<br>जनवरी, 2025 |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| श्री हर्षराज दुबे, जे.एम.एफ.सी.      | 04, 05, 18, 19, 26            |
| सुश्री अर्चना मर्सकोले, जे.एम.एफ.सी. | —                             |
| श्री दीपेन्द्र मालू, जे.एम.एफ.सी.    | 01, 02, 03, 12, 14            |

**नोट:—**

1. अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थिति में रिमांड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
2. अपवादिक परिस्थितियों में मजिस्ट्रेटगण रिमांड ड्यूटी परिवर्तन हेतु साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट की लिखित सहमति प्राप्त कर समायोजन की सूचना मेरी ओर प्रेषित करेंगे।
3. उपरोक्त में से किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो जाता है और वह पदभार मुक्त हो जाते हैं अथवा कोई न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण में जाते हैं तो उनके स्थान पर रिमांड ड्यूटी अन्य किसी भी पदस्थ न्यायिक अधिकारी की लगाई जा सकेगी।
4. अन्य कोई विशेष अवकाश होने पर एवं ऐसा कोई अवकाश जो उपरोक्त सूची में सम्मिलित न हो, उस दिन श्री भूपेन्द्र यादव/सुश्री पलक प्रजापति/श्री देवेन्द्र सोलंकी/श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी/श्री हर्षराज दुबे, जे.एम.एफ.सी. द्वारा उनकी स्थापना पर रिमांड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
5. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश नियत दिनांक को रिमांड ड्यूटी पर न्यायिक अधिकारी अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में रिमांड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक अधिकारी की नियत की जावेगी।

(नताशा शंख  
पटेल)  
मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट धार  
जिला धार (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, धार की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- श्री रामावतार पटेल, जे.एफ.एफ.सी, सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3- श्रीमती आकांक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4- श्री भूपेन्द्र यादव, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5- श्री महेन्द्रसिंह मेहसन, जे.एम.एफ.सी. सरदारपुर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 6- सुश्री नेहा प्रधान, जे.एफ.एफ.सी, बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 7- सुश्री जसविता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8- श्रीमती सीमा धाकड़, जे.एम.एफ.सी बदनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 9- सुश्री पलक प्रजापति, जे.एम.एफ.सी. बदनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 10- श्री देवन्द्रसिंह सोलंकी, जे.एम.एफ.सी. धरमपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 11- सुश्री अपेक्षा यादव, जे.एम.एफ.सी. धरमपुरी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 12- श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 13- श्री कृष्णा वोहरा, जे.एम.एफ.सी. मनावर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 14- सुश्री रूही अजाज मेव, जे.एम.एफ.सी, मनावर, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 15- श्री हर्षराज दुबे, जे.एम.एफ.सी., कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 16- सुश्री अर्चना मर्सकोले, जे.एम.एफ.सी. कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 17- श्री दीपेन्द्र मालू, जे.एम.एफ.सी. कुक्षी की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 18- उपसंचालक, लोक अभियोजन धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे रिमांड ड्यूटी के दौरान तहसील न्यायालयों में ए.डी.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु संबंधित ए.डी.पी.ओ को आदेश की कॉपी भिजवाने का कष्ट करें।
- 19- अभिभाषक संघ, सरदारपुर/बदनावर/धरमपुरी/मनावर/कुक्षी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 20- पुलिस अधीक्षक, धार की ओर समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करने के लिये कि उक्त सार्वजनिक अवकाश के दिन न्यायालय भवन में शाम 3:00 बजे से 5:00 बजे तक रिमांड ड्यूटी की जावेगी। अतः उक्त समयवधि में ही रिमांड कार्यवाही प्रस्तुत करें।
- 21- सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग धार की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा सभी न्यायाधीशगण को आज ही भेजना सुनिश्चित करें।

(नताशा शंख  
पटेल )  
मुख्य न्यायिक  
मजिस्ट्रेट धार  
जिला धार (म.प्र.)